राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1756 / 2022

ट्रीना डेविड

–अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग, सचिवालय जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री महेन्द्र जोशी, अधिवक्ता

आदेश की दिनांक : 06.04.2023

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस प्रकरण में निजी प्रत्यर्थी की ओर से अंतरिम स्थगन आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना गया। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा अपील आदेश दिनांक 24.05.2022 व 25.05.2022 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर श्रीमती अभिलाषा चौहान को कार्यवाहक प्राचार्य, जीएनएमटीसी के पद पर लगाया गया है। उक्त अपील में अपीलार्थी के पक्ष में एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित कर उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2022 (अनुलग्नक–1) व 25.05.2022 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये गए थे और यह भी स्पष्ट किया गया था कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। निजी प्रत्यर्थी की ओर से स्थगन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह तथ्य अंकित किया गया है कि आदेश दिनांक 24.05.2022 व 25.05.2022 पूर्णतः प्रशासनिक कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किये

गए थे, जिसमें कोई दुर्भावना नहीं है, न ही नियमों का उल्लंघन है। अतः स्थगन आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी से वरिष्ठ है और वरिष्ठतम नर्सिंग ट्यूटर को ही प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर लगाया जाता है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थान पर कनिष्ठ व्यक्ति को प्रधानाचार्य के पद पर लगाया जाना उचित नहीं था। अतः अधिकरण ने स्थगन आदेश पारित किये जाने में कोई भूल नहीं की है।

2. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से आदेश दिनांक 15.09.2011 जारी किया गया है, जिसमें वरिष्ठतम नर्सिंग ट्यूटर को प्रधानाचार्य, नर्सिंग स्कूल के पद पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। उक्त आदेश की पालना में ही अपीलार्थी वरिष्ठतम नर्सिंग ट्यूटर होने के कारण प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत था। आलौच्य आदेश पारित कर अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति को कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर लगाया गया है, जिसका कोई स्पष्ट कारण आलोच्य आदेश में उल्लेखित नहीं है।

3. अतः अंतरिम स्थगन आदेश को अपास्त किये जाने का कोई आधार होना हम नहीं पाते हैं निजी प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

4. अपीलार्थी वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक..... को पेश हो।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)